F13/477/15/1/25 विषय: - 4110 का कामान थ्रा म्म वर्ग । इ.स. १ वर्ग ४ वहाहा मुन । जाना मेर्ड किए माम । । मन 179 8104 1 पूर्व पृष्ठ से:-विषयांकित प्रकरण में जिला संयोजक, आदिभ जाति कल्याण - व्यान्ड को प्रकरण प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी किये गये है। प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश की प्रति संलग्न है। कृपया शासन नस्ती मूलतः ओ.एस.डी. को अकितताथ प्रस्तुत। सहायक आयुक्त (विधि) वे प्रको उत्तिरक्षण कारेश जारी कारन हैं हार कार के किया करें Jr84/05/70 Portan ortall - elizat निहि (क्यां) -135-विसाकेमुधी-19-6-15-20,000.

## IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: Bench at GWALIOR

Process Id: 33026/2015

WP/7407/2015

From

Deputy Registrar,
High Court of M.P.
at Gwalior

ADMISSION
Fixed for 14-12-2015
WP-DA-7
Respondent No. 1
RAD

To,

The State Of Madhya Pradesh Thr,
Principal Secretary Schedule Cast and
Schedule Tribe Welfare Department,
Mantralaya Govt. of M.P. Vallabh
Bhawan,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Gwalior 03-11-2015

Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 7407/ 2015

Sir/Madam.

Glove

I am directed to inform you that one Vijay Bahadur has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/7407/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 14-12-2015. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

Seal of the Court

Section Officer
High Court of Madhya Prodesh
Your faithfully

## कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास मध्य प्रदेश

क्मांक / स्था० -सी / 6104 / 2016 / 3,000

भोपाल, दिनांक 6/2/16

## नियुक्ति आदेश

याचिका प्रकरण कमांक डब्ल्यू०पी० 7407/15 श्री विजय बहादुर, दैनिक वेतन भोगी रसोईया जिला भिण्ड विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन ।

मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 4/196/2001/25/1 दिनांक 01.06.2001 द्वारा प्रत्यारोपित अधिकारों के तहत् सिविल प्रक्रिया सहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक-5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण भिण्ड (म०प्र०) को (पक्षकारों के नाम ऊपर वर्णित) मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने के लिये आवेदन करने और उपसंजात होने के लिये नियुक्त करते है । प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्त्तव्यो तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिनके ब्योरे नीके दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

प्रमारी अधिकारी प्रकरण के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि प्रकरण के संचालन में महाधिवक्ता / शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में S. SERFE . विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जावेगी ।

समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा । वाद पत्र/साबिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी 2

देते हुए जिनसे कि शासकीय अभिगायक को सहायता पहुंचाने की संभावना है एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।

उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अभिभाषक से संपर्क करेगा । शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन /उत्तर तैयार करवाएगा ।

प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेंगे :-

वाद पत्र की एक प्रति के साथ शासन की एक रिपोर्ट । प्रस्तावित निम्न कथन का एक प्रारूप ।

जन्मील दिन्ने प्राप्त के पूर्व विकास ।

(ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तुवित है और जिन्हें प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है ।

(घ) प्रकरण के विश्वहींकरण के लिये आवश्यक कारज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।

प्रकरण की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवता। का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों में स्वयं को सदैव अवगत रखना ।

जब भी कोई आदेश / निर्णय विशिष्टतयाः मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया गया, तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस में आवेदन 8. करना ए का के हो।

अपनी रिपोर्ट के साथ निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवंक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेंगे ।

क्षणां के शिल्कियान है कि सामान प्रमुख एके की पुनि न करों **या है।** पान है है है

यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी 10. ्र विशेषका के क्यान ने केंद्रिया करा श्रेसिक चैंद्रा कराएगा । स्टार्क्स करित्रका के क्यान ने केंद्रिया करा श्रेसिक चैंद्रा कराएगा । स्चना देने में समय नष्ट नहीं हो ।

यान बातन को पर विदेह ।

स्य कर्त स्वार्यके के कर हुए होते यह स्वार्य करें कर स्वार्य

े कोई बारत / मिर्म मिल्ल के नाम होता करता में है जर कार्र मिल्ल करता पान्य राज्य स्टब्सी राज्य व कि प्रत्य स्टान है है है है है है है के स्टब्स्

Man the Date / of the Date of the Control of the Co

1680

AUTOMOBILIAND OF THE

7.

9.

जैसे ही उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानदर्श 11. देगा। यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रमारी अधिकारी नियुक्त कर दिया जाये । 12

प्रभारी अधिकारी प्रकरण तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए

उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित / छुपी हुई नहीं रह जाये।

प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो हह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट 13. विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी

- प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों 14. में जहां किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति, जैसे ही वह पारित किया जाये विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ शासन (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।
- प्रभारी अधिकारी मामले में उच्च / उच्चतम न्यायालय के र मक्ष अपील / रिवीजन प्रस्तुत करने के लिये भी अधिकृत होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह प्रयास करें की उस पर अपील/रिवीजन प्रस्तुत करने की अनुमति मिल जाये और निर्धारित (निहीत) अवधि में अपील / रिवीजन प्रस्तुत हो जावे ।

र मध्यप्रदेश भोपाल दिनांक 6/2

पृष्ठांकन/स्था0 7 -सी/6104/2016/3001

- अतिरिक्त महाधिवक्ता बैंच ग्वालियर म०प्र० [
- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल म०प्र०। 2
- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल म०प्र०। 3
- 4. कलेक्टर, भिण्ड म०प्र०।
- संभागीय उपायुक्त,/नोडल अधिकारी (विधि प्रकोष्ठ), आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, 8 चंबल / ग्वालियर म०प्र०,।
- जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण भिण्ड (म०प्र०) प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक मेंट (विजिट)पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और प्रकरण में अपनी प्रगति रिपॉट के साथ उसे उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रिषत। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजनी चाहिये। वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय के समक्ष विधि एवं नियमों के साथ तथ्यसंगत पूरी स्थिति रखें । मामले में स्थगन आदेश हो तो सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर स्थगन हटाने की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें । मामले में प्रस्तुत वादोत्तर की प्रति तत्काल शासन एवं इस कार्यालय को उपलब्ध करावें ।
- प्रभारी अधिकारी, स्था 3-2 शाखा मुख्यालय भोपाल, म०प्र० की और सूचनार्थ एवं आवश्यक 趴 कार्यवाही हेत्।